

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)  
प्रकरण संख्या :- 70/2023  
वाद पत्र अं० धारा 88 आर.टी.ए.



1. प्रेम सिंह पुत्र भाग सिंह जाति राजपूत निवासी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज०
  2. जीत सिंह पुत्र भाग सिंह जाति राजपूत निवासी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज०
- वादीगण

- बनाम्**
1. भाग सिंह पुत्र मेघ सिंह जाति राजपूत निवासी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज०
  2. सुनीता पत्नी सुखवीर पुत्री भागसिंह जाति राजपूत निवासी शेरपुरा तह व जिला सिरसा हरि०.
  3. कुसम कवर पत्नी जयपाल पुत्री भागसिंह जाति राजपूत निवासी रोहीडा वाली तहसील अबोहर जिला फाजिलका पंजाब
  4. भाया पत्नी मंगत पुत्री भागसिंह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राज०.
  5. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।
- प्रतिवादीगण

उपरिस्थित :- 1. श्री राजेश बुडानिया -वकील वादीगण  
2. श्री परमजीत कौर -वकील प्रति 1 ता 4

### निर्णय

दिनांक :- 01.05.2024

वादीगण प्रेम सिंह ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह राजस्व वाद बाबत घोषणा के तहत दिनांक 01-02-2023 को इस न्यायालय में पेश किया कि वादी व प्रतिवादीगण का पंजीयन पता व्यवहार प्रक्रिया सहिता के प्रावधानों के अनुसार वही है जो वादपत्र के शीर्षक में दर्शाया गया है। कि वादीगण व प्रतिवादी सं 1 व 4 एक ही परिवार के सदस्य है वादीगण प्रतिवादी सं 1 के पुत्रगण व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के भाई है प्रतिवादी संख्या 1 के नाम तहसील संगरिया के चक न 17 एम.जे.डी ज.स 2073-2076 के खाता स 106/72 मे 4.161 है कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है कि वादीगण व प्रतिवादी सं 1 व 4 एक ही परिवार के सदस्य है वादीगण प्रतिवादी सं 1 के पुत्रगण व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के भाई है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम तहसील संगरिया के चक न 17 एम.जे.डी ज.स 2073-2076 के खाता स 106/72 मे 4.161 है कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की विरासतन प्राप्त भूमि है। उक्त भूमि मे वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के बराबर ब.ही.ब हक व हिस्सा जन्म से बनता है प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपने हक व हिस्सा की भूमि का परित्याग वादीगण व प्रतिवादी सं 1 के पक्ष मे ब.हि.ब कर दिया है। उक्त भूमि का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ने अच्छी मंदी अनुसार घरु विभाजन काफी समय पूर्व कर लिया है। मुताबिक घरु संख्या 1 ने अच्छी मंदी अनुसार घरु विभाजन काफी समय पूर्व कर लिया है। मुताबिक घरु संख्या 1 ने अच्छी मंदी अनुसार खाता मे प्रतिवादी सं 1 के नाम चक न 17 एम.जे.डी ज.स 2073-2076 विभाजन वादीगण को उक्त खाता मे प्रतिवादी सं 1 के नाम चक न 17 एम.जे.डी ज.स 2073-2076 के खाता स 106/72 मे 4.161 है कृषि भूमि मे से 2.024 है कृषि भूमि ब.हि.ब हक व हिस्सा मे आई है। वादी इसी अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी व दावेदार है। कि वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि वादीगण को वादपत्र की चरण सं. 3 मे वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि वादीगण को वादपत्र की चरण सं. 3 मे दर्ज भूमि का हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार मानकर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अकन करवा दो तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटोल करते रहे किन्तु वाद में पिछले सप्ताह वादीगण की बात मानने से कतई इन्कार हो गए बस यही वाद करण है। की प्रतिवादी संख्या 5 को लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। इनसे कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। कि

महायुक्त कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी

वादापत्र बाबत घोषणा का है जो उचित 2/-रूपये के न्याय शुल्क पर पेश है अन्दर निवेदन व न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि तदधीनकार कर वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे। (क) कि प्रतिवादी सं 1 का नाम दर्ज चक न 17 एम.जे.डी ज.स 2073-2076 के खाता सं 106/72 मे 4.161 है कृषि भूमि में वादीगण को 2.024 है ब.हि.ब कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं 1 का इतना हिस्सा कम किया जावे।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर शीमेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज एग्रीमेंट किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ने सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत किया प्रतिवादी सं. 5 का तहसीलदार राजरव संगरिया का जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। दोनों पक्षों में विवाद न होने के कारण तदधीनकार न कायम कर वकील वादी को साक्ष्य वादी हेतु अवसर दिया गया। साक्ष्य वादी मे वादी सं 2 ने शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 पेश किया गया जिसमें वादपत्र के तथ्यों को दर्शाया गया। तथा जं.बं. चक नं. 17 एम.जे.डी ज.स 2073-2076 के खाता सं. 106/72 नहरी कृषि भूमि जो प्रदर्श 1 है। साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी अभिभाषक ने कथन किया कि प्रतिवादी सं 1 दर्ज चक न 17 एम.जे.डी ज.स 2073-2076 के खाता सं 106/72 मे 4.161 है कृषि भूमि में वादीगण को 2.024 है ब.हि.ब कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं 1 का इतना हिस्सा कम किया जावे। प्रतिवादी के वकील द्वारा कोई ऐतराज नहीं किया गया। बहस वादी के वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। साक्ष्य के समर्थन में वादी ओर प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 किये गए बहस में वकील प्रतिवादीगण द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत किए जमाबन्दी प्रदर्श दस्तावेज 1 का विरोध नहीं किया। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 का सहमति का जवाब दावा पेश हुआ। प्रश्नगत भूमि विरासतन भूमि हैं इसलिए वादीगण का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

### —:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादी सं 1 के नाम दर्ज चक न 17 एम.जे.डी ज.स 2073-2076 के खाता सं 106/72 मे 4.161 है कृषि भूमि में से वादीगण को 2.024 है ब.हि.ब कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं 1 का इतना हिस्सा कम किया जाता है।

पर्या डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो खर्चा पक्षकारान अपना-अपना अलग वहन करेगे।

नोट:- बैंक ऋण फक होने पर इन्तकाल दर्ज किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राकेश कुमार मीना)  
सहायक, क्लर्क एवं  
उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
संगरिया

डिक्री व मुकदमें ईवतदाई  
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता  
न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 70/2024

वाद पत्र अंधारा :- 88 आरटीए



1. प्रेम सिंह पुत्र भाग सिंह जाति राजपूत निवासी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज0.
2. जीत सिंह पुत्र भाग सिंह जाति राजपूत निवासी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज0  
-वादीगण

**बनाम**

1. भाग सिंह पुत्र मेघ सिंह जाति राजपूत निवासी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज0
2. सुनीता पत्नी सुखवीर पुत्री भागसिंह जाति राजपूत निवासी शेरपुरा तह व जिला सिरसा हरि0.
3. कुसम कवंर पत्नी जयपाल पुत्री भागसिंह जाति राजपूत निवासी रोहीडा वाली तहसील अबोहर जिला फाजिलका पजाब
4. माया पत्नी मंगत पुत्री भागसिंह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राज0.
5. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया  
-प्रतिवादीगण

दिनांक :- 01.05.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री राजेश बुडानियां वकील वादीगण मिन जामिन मुदई व श्रीमती परमजीत कौर वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 4 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी स 1 के नाम दर्ज चक न 17 एम.जे.डी ज.स 2073-2076 के खाता स 106/72 मे 4.161 है कृषि भूमि मे से वादीगण को 2.024 है व.हि.व कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी स 1 का इतना हिस्सा कम किया जाता है।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे

नोट:- बैंक ऋण फक होने के बाद इन्तकाल दर्ज किया जावें।

निज..... नल..... मुब्लिक..... निल..... बाबत..... निल..... खर्चा  
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीखा वसूलयाबी तक..... अदा करें।  
वसव्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....01.05.2024.....जारी किया गया।

( राकेश कुमार मीना )

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
संगरिया